FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

सफी खां बनाम सरकार

किस्म मुकदमा :—वाद अन्तर्गत धारा 88,188,207 आरटी एक्ट मु.नं. एवं सन 31/16 व 2016/00007

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
13-03-2020	पत्रावली पे ा हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। राजपैरोकार उपस्थित। वकील वादी को नियमन बाबत सबूत पे ा करने हेतु अनेक अवसर दिये जा चुके है। राजपैरोकार ने निवेदन किया कि वादी प्रतिकुल कब्जा के आधार पर घोश्णात्मक दावा प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है। वादी/प्रार्थी चाहे तो बहाली अथवा नियमानुसार नियमन द्वारा आंवटन/खातेदारी प्राप्त कर सकता है। अतः पत्रावली/वाद प्रतिकुल कब्जा के आधार घोश्णात्मक वाद प्रस्तुत करने का वादी विधिक अधिकारी नहीं है तथा वाद प्राथमिक स्तर पर ही खारिज योग्य है। बहस के जबाब में वकील वादी ने निवेदन किया कि मुझे बहाली/नियमन बाबत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन हेतु समय दिया जावे। बहस सुनी गयी। प्रस्तुत वाद एडवर्स पजे ान के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने बाबत होने के कारण विधि द्वारा बाधित है। अतः वकील वादी के नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फै ाल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	